सं0सं0–9/सा0आ0–196/2003(बी0)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 300(9), दिनांक 14.06.2003 द्वारा डा0 राघवेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सासाराम(रोहतास) सम्प्रति–ट्यूटर पैथोलॉजी, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम में आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं0 397(9) दिनांक 03.04.2004 द्वारा सम्यक रूप से समीक्षोपरान्त कतिपय दंडों ((i) निंदन (ii) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक (iii) अनाधिकृत अनुपस्थिति के अवधि को वेतन रहित अवकाश घोषित किया जाता है (iv) निलंबन अवधि में केवल निलंबन भत्ता देय होगा) के साथ डा0 कुमार को निलंबन मुक्त किया गया । उक्त दंडादेश के विरूद्ध डा0 कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका सं0 8788/05 दायर किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में उक्त दंडादेश अधिसूचना सं0 397(9) दिनांक 03.04.2004 एवं विभागीय पत्रांक 1991(9) दिनांक 03.04.2004 को निरस्त किया गया । न्यायादेश में प्राप्त आदेश द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 273(9) दिनांक 15.2.12 द्वारा डा0 राघवेन्द्र कुमार के विरूद्ध नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम की समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 राघवेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल सासाराम संप्रति ट्यूटर पैथोलॉजी एस0 के0 एम0 सी0 एच0, मुजफ्फरपुर को निम्नलिखित दंड दिया जाता हैः–

(i) दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक ।

(ii) अनाधिकृत अनुपस्थिति के अवधि को वेतन रहित अवकाश घोषित किया जाता है।

(iii) निलंबन अवधि में केवल निलंबन भत्ता देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 486 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 11/6/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/पटना प्रमंडल पटना/सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर/रोहतास, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 राघवेन्द्र कुमार, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, सासाराम(रोहतास) सम्प्रति–ट्यूटर पैथोलॉजी, श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10, एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Sweta/Health/Notification- 14-05-12